

ई-नीलामी के नियम और शर्तें

01. ई-नीलामी "जहाँ है जैसी है" और "जो है वही है" और "जो है जैसी है" के आधार पर आयोजित की जा रही है।
02. ई-नीलामी पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibpi/index.jsp> के माध्यम से 26/05/2022 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक 10 मिनट के ऑटो विस्तार के साथ होगी। निरीक्षण की तिथि और समय 19/05/2022 अपराह्न 12.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक।
03. अधिक विवरण, प्रक्रिया अनुपालन और नियम व शर्तों को डाउनलोड करने के लिए, कृपया देखें: ए. <https://www.centralbankofindia.co.in>, बी. हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट का पता <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibpi/index.jsp> बोलीदाता <https://www.ibapi.in> या <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibpi/index.jsp> पर जा सकते हैं जहाँ शैक्षिक वीडियो के साथ बोलीदाताओं के लिए "दिशानिर्देश" उपलब्ध हैं। बोलीदाताओं को निम्नलिखित औपचारिकताएं पहले ही पूरी करनी होंगी:
चरण 1: बोलीदाताओं / क्रेता पंजीकरण: बोलीदाताओं को अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके ई-नीलामी प्लेटफॉर्म (ऊपर दिए गए लिंक) पर पंजीकरण करना होगा।
चरण 2: केवाईसी सत्यापन बोलीदाताओं को अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाएगा (2 कार्य दिवस लग सकते हैं।)
चरण 3: बोलीदाता को ईएमडी राशि का हस्तांतरण ग्लोबल ईएमडी वॉलेट: ई-नीलामी प्लेटफॉर्म पर उत्पन्न चालान का उपयोग करके एनईएफटी/स्थानांतरण का उपयोग करके निधि का ऑनलाइन/ऑफ-लाइन हस्तांतरण।
चरण 4: बोली प्रक्रिया और नीलामी परिणाम: इच्छुक पंजीकृत बोलीदाता चरण 1, 2 और 3 को पूरा करने के बाद ऑनलाइन ई-नीलामी प्लेटफॉर्म पर बोली लगा सकते हैं।
कृपया ध्यान दें कि चरण 1 से चरण 3 बोलीदाताओं द्वारा ई-नीलामी तिथि से पहले काफी पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए।
04. ई-नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (<https://www.mstcecommerce.com>) हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय 225-सी, एजेसी बोस रोड, कोलकाता-700020 में है। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। बिक्री के सामान्य नियमों और शर्तों वाली बिक्री सूचना बैंक की वेबसाइट/वेबपेज पोर्टल पर उपलब्ध/प्रकाशित है। <https://www.centralbankofindia.co.in>, <https://ibapi.in> और <http://www.mstcecommerce.com>। ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी इस ई-नीलामी से संबंधित ई-नीलामी के संचालन भाग पर ई-नीलामी के संचालन भाग पर ई-बिक्री-आईबीएपीआई पोर्टल से निःशुल्क,

बिक्री नोटिस की प्रतियां, ई-नीलामी के नियम और शर्तें, हेल्प मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं (<https://www.ibapi.in>)। इच्छुक बोलीदाता जिन्हें लॉग इन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे www.mstcecommerce.com से अपने केंद्रीय हेल्पडेस्क नंबर 033-22901004 पर संपर्क कर सकते हैं।

05. इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को नीलामी समय से पहले ही अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को स्थानांतरित करना होगा। यदि ईएमडी राशि ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में उपलब्ध नहीं है, तो सिस्टम बोली लगाने की अनुमति नहीं देगा। नीलामी से पहले पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन और वॉलेट में ईएमडी के हस्तांतरण को काफी पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए। बोलीदाता एक या सभी संपत्तियों के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं। अपने वॉलेट में पर्याप्त ईएमडी होने के बाद ही इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी की तिथि पर बोली लगा सकेगा। बिडर के ग्लोबल वॉलेट में बिडिंग के समय पर्याप्त बैलेंस (>=ईएमडी राशि) होना चाहिए। एक से अधिक संपत्ति के प्रस्ताव के मामले में बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति के लिए ईएमडी जमा करनी होगी।

06. ऊपर उल्लिखित बयाना राशि (ईएमडी) राशि का भुगतान ऑनलाइन यानी एनईएफटी/ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा (बोलीदाताओं के ग्लोबल ईएमडी वॉलेट से (<https://www.mstcecommerce.com>) से चालान बनने के बाद। एनईएफटी हस्तांतरण किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। ईएमडी का भुगतान किसी अन्य मोड जैसे चेक/डीडी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं, अपने वॉलेट में आवश्यक ईएमडी जमा नहीं करने पर, ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बयाना राशि जमा (ईएमडी) कोई ब्याज नहीं होगा और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

07. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर संपत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी। आरक्षित मूल्य से नीचे दी गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा। बोली लगाने वाले अपनी बोलियों को सार्वजनिक बिक्री सूचना/बिक्री के नियम और शर्तों में निर्दिष्ट राशि से गुणा करके बढ़ाएंगे। अंतिम दस मिनट में बोली प्राप्त होने की स्थिति में 10 मिनट का असीमित विस्तार समय दिया जाएगा। बोलीदाताओं को लगातार ऊंची बोली लगाने के लिए दस मिनट का समय दिया जाएगा और यदि किसी बोलीदाता द्वारा अंतिम उच्चतम बोली के दस मिनट की समाप्ति के बाद कोई उच्च बोली नहीं दी जाती है, तो ई-नीलामी बंद कर दी जाएगी।

08. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार, संपत्तियों पर किसी प्रकार के भार की जानकारी नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले ऋणभार, नीलामी में रखी गई संपत्ति के शीर्षक और संपत्ति के दावों/अधिकारों/बकाया/प्रभावित होने के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन का गठन नहीं होता है और इसे बैंक की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं माना जाएगा। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वह बैंक को ज्ञात हो या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे।

वसूली विभाग / RECOVERY DEPARTMENT

09. बोली जमा करने से पहले संपत्ति और विनिर्देश के बारे में खुद को निरीक्षण और संतुष्ट करने के लिए बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। नीलामी में रखी गई संपत्ति/यों के निरीक्षण की अनुमति प्रत्येक संपत्ति विवरण के सामने उल्लिखित स्थलों पर इच्छुक बोलीदाताओं को दी जाएगी।

10. ऑनलाइन परस्पर बोली के दौरान, बोलीदाता 'बोली वृद्धि राशि' (बिक्री नोटिस में उल्लिखित) या इसके गुणक के अनुसार अपनी बोली राशि में सुधार कर सकता है और यदि बोली के समापन समय के अंतिम 10 मिनट के दौरान बोली लगाई जाती है ई-नीलामी के बंद होने का समय स्वतः ही 10 मिनट (ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होने तक) के लिए बढ़ा दिया जाएगा, अन्यथा यह स्वतः ही बंद हो जाएगा। ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होने पर जो बोलीदाता उच्चतम बोली राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) जमा करता है, उसे आवश्यक सत्यापन के बाद, अधिकृत अधिकारी / सुरक्षित लेनदार द्वारा एक सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाएगा।

11. सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के बाद उसी दिन या अगले कार्य दिवस के बाद पहले से जमा की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए बिक्री मूल्य का 25% जमा करना होगा और शेष 75% बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जैसा कि नीचे उल्लेखित खाता संख्या में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से अधिकृत अधिकारी के विवेक पर और पूरी तरह से लिखित रूप में सहमति है।

शाखा का नाम	खाता संख्या	खाता नाम	आईएफएस कोड
बजाज रेजि. क्षेत्र	5160767933	ईएमडी अधिकृत अधिकारी	CBIN0283110

सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक के मामले में, बोलीदाता द्वारा पहले से जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा और संपत्ति को फिर से नीलामी के लिए रखा जाएगा और चूककर्ता उधारकर्ता का संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

12. क्रेता लागू स्टाम्प शुल्क/अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क/हस्तांतरण शुल्क, शुल्क इत्यादि और किसी के कारण सभी वैधानिक/गैर-सांविधिक देय, कर, दरें, मूल्यांकन शुल्क, शुल्क इत्यादि भी वहन करेगा।

13. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थगित / स्थगित / रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।

14. समस्त विक्रय प्रतिफल प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाण पत्र जारी करेगा। खरीदार को बिक्री प्रमाण पत्र, पंजीकरण शुल्क, सरकार / किसी भी प्राधिकरण को देय सभी वैधानिक देय राशि, कर, जीएसटी और दरों और मौजूदा और भविष्य में संपत्ति से संबंधित दोनों सहित स्टॉप शुल्क वहन करना होगा। बिक्री प्रमाण पत्र में बोली में उल्लिखित नामों के अलावा नामों को शामिल करने/बदलने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम पर ही जारी किया जाएगा।

वसूली विभाग / RECOVERY DEPARTMENT

15. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताए अगले उच्चतम बोली लगाने वाले को बुलाए बिना किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित/स्थगित/रद्द करने/बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार है यदि पहले वाला बोली लगाने वाला प्रदर्शन करने में विफल रहता है।

16. संपत्ति "जैसी है जहां है", "जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जा रही है और इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए और संबंधित रजिस्ट्रार/एसआरओ/राजस्व रिकॉर्ड/ बैंक के प्रभार के अलावा बिक्री कर, उत्पाद शुल्क/जीएसटी/आयकर जैसे किसी भी प्राधिकरण के भारों और दावों/अधिकारों/देयताओं/शुल्कों के संबंध में अन्य सांविधिक प्राधिकरण और शीर्षक प्रकृति, विवरण, सीमा, गुणवत्ता, मात्रा के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करेंगे। अपनी बोलियां जमा करने से पहले संपत्ति पर शर्त, भार, ग्रहणाधिकार, प्रभार, सांविधिक बकाया आदि। ई-नीलामी विज्ञापन का गठन नहीं होता है और इसे बैंक की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं माना जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार ऊपर वर्णित (यदि कोई हो) के अलावा किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद संपत्ति या किसी अन्य मामले आदि पर बिक्री के लिए लगाए गए शुल्क / ऋणभार आदि के संबंध में किसी भी प्रकृति के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

17. बैंक बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में या बकाया पानी/सेवा शुल्क, हस्तांतरण शुल्क, बिजली बकाया, नगर निगम को बकाया राशि के संबंध में कोई अनुमति/लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। / स्थानीय प्राधिकरण / सहकारी हाउसिंग सोसाइटी या उक्त संपत्ति की बिक्री के संबंध में और/या कोई अन्य देय, कर, लेवी, शुल्क, हस्तांतरण शुल्क, यदि कोई हो। सफल बोलीदाता को संपत्ति की खरीद के संबंध में आयकर के प्रावधानों का पालन करना होगा और लागू दरों के अनुसार अधिकारियों को कर का भुगतान करना होगा।

18. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि जमा करने से पहले एमएसटीसी के वेब पोर्टल

<https://www.mstcecommerce.com> और www.ibapi.in और www.centralbankofindia.co.in

पर उपलब्ध ई-नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों को पढ़ लें और उनकी बोली और ई-नीलामी में भाग लेना।

19. अंतिम क्षण में बोली लगाने वालों को अपने हित में बोली लगाने से बचना चाहिए क्योंकि न तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और न ही सेवा प्रदाता ऐसी आकस्मिकता को दूर करने के लिए किसी भी चूक / विफलता (इंटरनेट विफलता / बिजली की विफलता आदि) के लिए जिम्मेदार होंगे। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे बिजली आपूर्ति बैंक-अप आदि करें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बचने में सक्षम हों और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

20. बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।

क्षेत्रीय कार्यालय Regional Office, औरंगाबाद Aurangabad (महाराष्ट्र Maharashtra)

वसूली विभाग / RECOVERY DEPARTMENT

21. इच्छुक क्रेता अपने खर्चे पर उपरोक्त वर्णित तिथि एवं समय पर संपत्ति का निरीक्षण कर सकता है। बैंक के पास उपलब्ध शीर्षक दस्तावेज और अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए इच्छुक बोलीकर्ता 19/05/2022 को कार्यालय समय के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से संपर्क कर सकते हैं।

22. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें - सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सैक्टर 9 सिड्को, क्षेत्र शाखा, औरंगाबाद श्री धर्मेन्द्र कुमार (एम) +91-8408882645।

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना

उधारकर्ताओं/गारंटरो/बंधकदारों को एतद्वारा सुरक्षित लेनदारों की बकाया राशि की वसूली के लिए अचल सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए अधिसूचित किया जाता है।

दिनांक: 09/05/2022

स्थान: औरंगाबाद

अधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया